




उत्तराखण्ड वन विकास निगम

सड़े वृक्षों के सार्वजनिक नीलाम/निविदा हेतु शर्तें

1. सड़े वृक्षों के विक्रय हेतु नीलाम/निविदा कार्यवाही 'जहाँ है जैसा है' के आधार पर सम्पन्न होगी।
2. नेक जमानत/गेट मनी/प्रवेश शुल्क :-
 - (I) नीलाम/निविदा नीलाम में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेता द्वारा नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क हेतु रु0 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) (निविदा मूल्य का 2.5 % या रु0 10,000/- जो भी अधिक हो) का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर/राष्ट्रीय बचत पत्र जो सम्बन्धित प्रभागीय लीगिंग प्रबन्धक/प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पद नाम बंधक/निरूपित हो, जमा करना अनिवार्य है। नीलाम हेतु प्रवेश शुल्क नगद भी जमा की जा सकती है। जिसकी मूल धनप्राप्ति रसीद नीलाम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
 - (II) उच्चतम प्राप्त नीलाम/निविदा सम्बन्धी नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क, जो विक्रय मूल्य सम्बन्धी धनराशि देयकों के विरुद्ध समायोजित हो सकेगी, को रोककर अन्य क्रेताओं की उक्त धनराशि यथाशीघ्र विलम्बत 3 (तीन) दिन के अन्दर वापस कर दी जायेगी या क्रेता के लिखित अनुरोध पर अन्य लोट के देयकों के विरुद्ध समायोजित की जा सकेगी।
3. इच्छुक क्रेता द्वारा अपने नाम, पता आदि के प्रमाणन हेतु निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है :-
 - (I) व्यापार कर खाता संख्या प्रमाण पत्र (II) पैन कार्ड एवं (III) आधार कार्ड और (IV) राशनकार्ड/वोटर कार्ड/वाहन चालक अनुज्ञा एवं अन्य पहचान पत्र जो पहचान पत्र के रूप में मान्य हो, की स्व सत्यापित छायाप्रति।
4. सम्बन्धित लोट की विक्रय सूची में लोट की स्थिति, वृक्षों का विवरण, कार्य अवधि अंकित है। इच्छुक क्रेता को चाहिए कि नीलाम/निविदा में भाग लेने से पूर्व लाट के वृक्षों का भली-भाँति निरीक्षण कर लें। यदि कोई भिन्नता हो तो क्रेता यथा स्थिति पुष्टि उपरान्त ही नीलाम/निविदा में भाग लें। नीलाम/निविदा स्वीकार होने के पश्चात लाट की मात्रा-गुणवत्ता के सम्बन्ध में क्रेता का कोई प्रत्यावेदन/क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा/मान्य नहीं होगा और प्रथम दृष्टया ही अमान्य कर दिया जाएगा।
5. (I) नीलाम में लाट की बोली स्वीकार होने के तुरन्त बाद उसी दिन क्रेता को उस लाट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत वन निगम के अधिकृत कर्मचारी के पास जमा करके रसीद लेनी होगी।
 - (II) निविदा की दशा में उच्चतम निविदा सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि से (सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि छोड़कर) 7 (सात दिन) के अन्दर लोट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत जमा करना अनिवार्य है।
 - (III) यदि क्रेता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत जमानत नहीं जमा की जाती है तो तत्सम्बन्धी जमा, नेक जमानत/गेट मनी/प्रवेश शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और लोट के विक्रय निस्तारण हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
 - (IV) लोट का कार्य संतोषजनक निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्पन्न किए जाने के उपरान्त ही जमा जमानत की वापसी/समायोजन होगा।
6. नीलाम/निविदा प्रपत्र में यथानिर्दिष्ट क्रेता को हस्ताक्षर करने होंगे।
7. बिक्री का अनुमोदन वन निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक/डिपो अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा इसकी सूचना क्रेता को पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से क्रेता के पते पर भेजी जायेगी। डाक में विलम्ब की जिम्मेदारी वन निगम की नहीं होगी।
8. नीलाम/निविदा की तिथि से 30 (तीस दिन) के अन्दर (नीलाम/निविदा की तिथि छोड़कर) यदि लाट का अनुमोदन क्रेता को सूचित नहीं किया जाता है तो क्रेता लाट क्रय करने को बाध्य नहीं होगा एवं जमा जमानत की वापसी/समायोजन हेतु क्रेता स्वतंत्र होगा।
9. क्रेता को लाट का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क (शासन द्वारा निर्धारित दरों पर) आदि देयक अनुमोदन सूचना जारी होने के (जारी तिथि छोड़कर) 20 दिन के भीतर जमा करना होगा। विशेष परिस्थितियों में अवशेष विक्रय मूल्य पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क के साथ अधिकतम 10 (दस दिन) दिनों की मियाद वृद्धि अनुमत्य होगी। मियाद वृद्धि, समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी। यदि मियाद वृद्धि की अवधि में भी समस्त देयक जमा नहीं किया जाता है तो लाट की बिक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी और क्रेता की जमानत जब्त हो जायेगी और लोट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
10. लाट का विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर मण्डी शुल्क, स्टाम्प शुल्क आदि देयक सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लीगिंग प्रबन्धक के पक्ष में बने बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर RTGS/NFET/E-Paymen द्वारा ही स्वीकार होगा। सीमान्त समायोजन हेतु अधिकतम रु0 3000/- नगद जमा हो सकते हैं।

- 11. समस्त देयकों की अदायगी हो जाने पर कार्यादेश प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा जारी किया जाएगा जो दस्ती/डाक द्वारा भेजा जाएगा। कार्यादेश जारी होने की तिथि के 10 दिन के अन्दर (जारी भेजने की तिथि छोड़कर) क्रेता को लाट में कार्य आरम्भ करना होगा। कार्य आरम्भ करने से 03 दिन पूर्व उसे वन निगम के सम्बन्धित अधिकारी (जिसका उल्लेख कार्यादेश में होगा) को लिखित रूप से सूचित करना होगा तथा वन निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्य आरम्भ करना होगा।
12. लाट में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्रेता को ₹100/ के स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध करना होगा। नीलाम/निविदा शर्तें भी अनुबन्ध का भाग होंगी।
13. यदि क्रेता कार्यादेश निर्गत होने के 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्य आरम्भ नहीं करता है तो लाट के विरुद्ध जमा विक्रय मूल्य आदि समस्त धनराशि सहित स्वतः जब्त हो जायेगी तथा लाट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
14. क्रेता केवल चिन्हित वृक्षों का ही पातन/कटान करेगा। यदि किसी वृक्ष के विषय में सन्देह हो तो क्रेता उसके निराकरण हेतु वन निगम के सम्बन्धित इकाई अधिकारी को लिखित आवेदन करेगा। निराकरण होने के पश्चात ही ऐसे वृक्ष का पातन/कटान करेगा। यदि क्रेता चिन्हित वृक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य वृक्ष का पातन/कटान करेगा तो उसे इसके लिए निर्धारित अर्थ दण्ड देना होगा। यदि लाट में कार्य के समय किसी भी समय यह ज्ञात होगा कि क्रेता द्वारा कहीं भी अवैध पातन/कटान किया है तो लाट की बिक्री तत्काल निरस्त कर दी जाएगी और क्रेता द्वारा लाट हेतु समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। चिन्हित समस्त छप्पे वृक्षों एवं कटे हुए प्रकाष्ठ/जलीनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा। इसके अतिरिक्त वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।
15. लाट के क्रेता को वृक्षों का पातन/कटान, आवश्यकतानुसार लापिंग आदि करके इस तरह से करना होगा ताकि लाट के समीपस्थ बिजली लाइन, टेलीफोन लाइन या भवनों आदि को क्षति न हो। लाट में काटे जा रहे वृक्षों से मार्ग पर चलने वाले वाहनों एवं राहगीरों आदि की सुरक्षा हेतु (आवश्यकतानुसार) लाल झण्डी का प्रयोग क्रेता को करना होगा। यदि लाट में वृक्षों के कटान से किसी व्यक्ति अथवा किसी सम्पत्ति की कोई क्षति होगी तो इसकी प्रतिपूर्ति क्रेता को करनी होगी।
16. क्रेता द्वारा नियमानुसार सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लाट में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा।
17. क्रेता को लाट से माल निकासी वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन निगम के निर्धारित प्रपत्र 4.5 में वन निगम के अधिकृत कर्मचारी द्वारा दी जायेगी। निकासी रवन्ना पर क्रेता अथवा क्रेता के अधिकृत प्रतिनिधि एवं वाहन चालक को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। निकासी नियमानुसार सूर्यास्त से सूर्यास्त के बीच दी जायेगी। निकासी के समय नियमानुसार अभिवहन शुल्क भी क्रेता को देना होगा, निकासी हेतु लाट स्थल को ही ट्रांजिट डिपो माना जायेगा।
18. विक्रय सूची/कार्यादेश में अंकित समय सीमा-निर्धारित कार्य अवधि के अन्तर्गत क्रेता को लाट (जाब) के सभी छप्पे चिन्हित वृक्षों का पातन/कटान एवं उत्पादित प्रकाष्ठ जलीनी आदि की निकासी करनी होगी। निकासी से पूर्व प्रकाष्ठ के बोटो पर वन निगम अपने स्वामित्व का घन चिन्ह लगायेगा। यदि क्रेता निर्धारित समय के अन्दर पातन/कटान व उत्पादित हुए प्रकाष्ठ/जलीनी की निकासी नहीं करेगा तो क्रेता के लिखित आवेदन पर उसे 15 दिनों का अतिरिक्त समय अनुमन्य हो सकता है, जिसके लिए क्रेता को लाट के कुल विक्रय मूल्य का 0.10 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अवधि विस्तार शुल्क देना होगा। यदि इन अतिरिक्त 15 दिनों में भी क्रेता लाट का कार्य पूर्ण नहीं करता है तो छप्पे वृक्षों एवं उत्पादित समस्त प्रकाष्ठ/जलीनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जाएगा जिसका निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
19. लाट की कार्यसमाप्ति के बाद क्रेता द्वारा इसकी लिखित सूचना सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक को दी जाएगी। तदुपरान्त नियमानुसार कार्य सम्पन्न होने की दशा में क्रेता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम सहित सम्बन्धित सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
20. क्रेता पर किसी भी प्रकार की बकाया बसूली क्रेता से भू-राजस्व के रूप में की जा सकती है।
21. लाट का कार्य निर्धारित प्रक्रियानुसार एवं संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त जमा जमानत वावस/समायोजित की जाएगी।
22. क्रेता एवं प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर सम्बन्धित "क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम" पंच निर्णायक होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनों पक्षों का मान्य होगा।

(2)


 प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
 उत्तराखण्ड वन विकास निगम
 विक्रय प्रभाग टनकपुर


लॉट संख्या-40/2023-24
(कतना)

लॉट सं० /2023-24 किस्म छपान- खतरनाक वृक्ष घन नं 39/ सूखा हरा खड़ा छपान/ 2021-22
खटीमा राजि तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त-पश्चिमी वृत्त
खण्ड व कक्ष- खटीमा, पीलीभीत रोड, ईस्टर इण्डस्ट्रीज लि. के समीप
प्लॉट संख्या- क्षेत्रफल है० बिक्री कर की दर श्रेणी
निकासी के लिए अनुमानित दूरी लगभग किमी० कटान चिरान अवधि


वृक्ष प्रजाति	ब्यास श्रेणी से०मी० में																					सीमा विवरण एवं शर्तें				
	0-20	20-30		30-40			40-50			50-60			60-70			70-80			80-90				90-100			योग
		F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U		S	F	U	
शीशम सूखा खड़ा सिर टूटा	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	पूरब- खटीमा पीलीभीत एन०एच० मार्ग पश्चिम-ईस्टर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	
शीशम सूखा खड़ा टूठ	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	उत्तर-पथ वृक्षारोपण दक्षिण- पथ वृक्षारोपण	
योग	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	लॉट में प्रकाश की वन-करी की आवश्यकता है	

लॉट संख्या-40/2023-24


में करें 0सं० 1 परोक्त


उप प्रभागीय वनाधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग

उप वन प्रभाग
खटीमा


वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र

दुपान अधिकारी
जाग शर्मा 3530
उपराजिक
खटीमा


उप वन प्रभाग
खटीमा

लॉट संख्या 172/2023-24

लॉट सं० 172/2023-24 किस्म छपान-खतरनाक वृक्ष, श्री ललित मोहन भट्ट, ग्राम-अमारुं, खटीमा
घन नं 37/ सूखा हरा खड़ा छपान/ 2021-22

खटीमा राजि तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त-पश्चिमी वृत्त

खण्ड व कक्ष- एन0एच0 125, टनकपुर -खटीमा मार्ग पर, ग्राम अमारुं

प्लॉट संख्या- क्षेत्रफल है0 बिक्री कर की दर श्रेणी

निकासी के लिए अनुमानित दूरी लगभग किमी0 कटान चिरान अवधि

वृक्ष प्रजाति	ब्यास श्रे 50मी0 में																		योग	सीमा विवरण एवं शर्तें						
	0-20	20-30		30-40			40-50			50-60			60-70			70-80					80-90			90-100		
		F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U			S	F	U	S	F	U
हल्द्व हरा खड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	पूरब- ग्राम अमारुं,मकान/दुकान पश्चिम-खटीमा टनकपुर मार्ग एन0एच0 125 उत्तर-खटीमा टनकपुर मार्ग दक्षिण-खटीमा टनकपुर मार्ग एन0एच0 125 शर्तें
आम हरा खड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1- प्राकृतिक आपदाओं, जैसे-आग,पानी,तूफान आदि से नुकसान का विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। 2- लॉट के वृक्षों में लौपिंग की आवश्यकता है। 3-पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021-22 के सभी विक्रय नियम लागू होंगे।
योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	


उप प्रभागीय वनाधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग

प्रवेश सिंह राणा
वन परीक्षा
टनकपुर (उत्तरांचल)
खटीमा वन क्षेत्र

वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र

रवींद्र सिंह सामल
उप वनाधिकारी
जॉय अफिसरी

लॉट संख्या 172/2023-24



लौट सं० 173/2023-24 किस्म छपान-खतरनाक वृक्ष, श्री दीपक कुमार पुत्र श्री विशन राम नि०-ग्राम पचौरिया, खटीमा

लौट सं० 173/2023-24

घन नं 37/सूखा हरा खड़ा छपान/ 2021-22

खटीमा राजि तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त-पश्चिमी वृत्त

खण्ड व कक्ष- उ० बनबसा कक्ष सं०-5, अतिकमण क्षेत्र

प्लॉट संख्या- क्षेत्रफल है० बिक्री कर की दर श्रेणी
निकासी के लिए अनुमानित दूरी लगभग किमी० कटान चिरान अवधि

वृक्ष प्रजाति	ब्यास श्रेणी से०मी० र																		योग	सीमा विवरण एवं शर्तें								
	0-20		20-30			30-40			40-50			50-60			60-70			70-80			80-90			90-100				
	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S			F	U	S	F	U			
साल हरा खड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	पूरब- अतिकमण क्षेत्र/ शारदा नहर पश्चिम-उ० बनबसा कक्ष सं०-5 का अतिकमण क्षेत्र उत्तर-उ० बनबसा कक्ष सं०-5 का अतिकमण क्षेत्र दक्षिण-उ० बनबसा कक्ष सं०-5 का अतिकमण क्षेत्र एन०एच० 125 शर्तें 1- प्राकृतिक आपदाओं, जैसे-आग,पानी,तूफान आदि से नुकसान का विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। 2- लौट के वृक्षों में लौपिंग की आवश्यकता है। 3-पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021-22 के सभी विक्रय नियम लागू होंगे।		
योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1			

लौट सं० 173/2023-24

21/22

उप प्रभागीय वनाधिकारी

(प्रेमेश सिंह राणा)
वन देराडा
चकरपुर क्षेत्र
खटीमा वन क्षेत्र

वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र

(रवींद्र सिंह)
उप वनाधिकारी

लॉट संख्या 178/2023-24

लॉट सं- 178 / 2023-24

किस्म छपान- खतरनाक वृक्ष । घन नं०-34 / हरा छपान / 2021-22

खटीमा-राजि, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी ।

कार्यवृत्त-

खण्ड व कक्ष सं०- छीनी कक्ष संख्या 3 (श्री पुष्कर सिंह पुत्र राम सिंह कि मनिहार गोठ टनकपुर चम्पान)

प्लॉट संख्या

क्षेत्रफल

बिक्री कर की दर


श्रेणी

निकासी के लिए अनुमानित दूरी

कटान चिरान अवधि

वृक्ष प्रजाति	0-20	व्यास श्रेणी से०मी० में																		सीमा विवरण एवं शर्तें
		20-30		30-40			40-50			50-60			60-70			70 से ऊपर			योग	
साल सूखा खड़ा	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	योग		
सूरसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
सूरसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	

उप प्रभागीय वनाधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग



वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(निरीक्षण)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(जांच)

लॉट संख्या 180/2023-24

लॉट सं-180/2023-24 किस्म छपान- राष्ट्रीय राजमार्ग-125 के किनारे एक हल्दू वृक्ष जो श्री पुष्कर राम पुत्र स्व0 श्री जमन राम निवासी ग्राम कुटरी, शहीद प्रेम नगर गेट के सामने खटीमा, जिला-ऊधमसिंहनगर की दुकान/मकान के निकट खतरनाक वृक्ष का छपान। घन नं0 37/ हरा छपान/2021-22

खटीमा-राजि, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त - छपान किस्म -

खण्ड व कक्ष सं0-

प्लॉट संख्या

क्षेत्रफल

बिक्री कर की दर

श्रेणी

निकासी के लिए अनुमानित दूरी

कटान चिरान अवधि

वृक्ष प्रजाति	व्यास श्रेणी से0मी0 में																		सीमा विवरण एवं शर्तें			
	0-20	20-30		30-40			40-50			50-60			60-70			70 से ऊपर				योग		
		F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U				
हल्दू हरा खड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	<p>पूरब- आबादी व रेल लाईन पश्चिम-NH-125 राष्ट्रीय मार्ग व आबादी उत्तर- आबादी दक्षिण- आबादी शर्तें 1 प्राकृतिक आपदाओं, जैसे-आग, पानी,तूफान आदि से नुकसान का विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। 2- पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021-22 के सभी विक्रय नियम लागू होंगे</p>	
योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

उप प्रभागीय वनाधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र

पुष्कर राम पुत्र
जमन राम
उपराजिक

पुष्कर राम पुत्र
जमन राम
उपराजिक

लॉट संख्या 180/2023-24

लॉट संख्या 185/2023-24

लॉट सं०-185/2023-24 किस्म छपान- राष्ट्रीय राजमार्ग-125 के किनारे सेमल वृक्ष जो श्री कुण्डल सिंह पुत्र स्व० श्री जमन सिंह निवासी ग्राम मुड़ाई, तहसील खटीमा, जिला-ऊधमसिंहनगर के दुकान/मकान के निकट खतरनाक वृक्ष का छपान। घन नं० 37/ हरा छपान/2021-22

खटीमा-राजि, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी कार्यवृत्त - छपान किस्म -

खण्ड व कक्ष सं०-

प्लॉट संख्या

क्षेत्रफल

बिक्री कर की दर

श्रेणी


निकासी के लिए अनुमानित दूरी

कटान चिरान अवधि

वृक्ष प्रजाति	व्यास श्रेणी से०मी० में																		सीमा विवरण एवं शर्तें			
	0-20	20-30		30-40			40-50			50-60			60-70			70 से ऊपर					योग	
		F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U				
सेमल हरा खड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	पूरब- NH-125 आबादी पश्चिम-दुकान/मकान आबादी उत्तर- दुकान/मकान आबादी दक्षिण- दुकान/मकान आबादी शर्तें 1 प्राकृतिक आपदाओं, जैसे-आग, पानी,तूफान आदि से नुकसान का विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। 2- पश्चिमी वृत्त के वर्ष 2021-22 के सभी विक्रय नियम लागू होंगे		
योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

उप प्रभागीय वनप्रधिकारी
खटीमा उप वन प्रभाग

पंकज
Jagdish
30/2/24
जागेश्वर
उपराजिक
खटीमा



प्रवेश सिंह
वन विभाग
चकरपुर अंतुआग
खटीमा वन क्षेत्र

वन क्षेत्राधिकारी
खटीमा वन क्षेत्र



अधिशाली अभियन्ता हैड वर्क्स खण्ड, शारदा नहर

खड़े वृक्षों का नीलाम-27.03.2024

नीलाम/निविदा स्थल - खटीमा डिपो

क्र०सं०	राजि का नाम	प्रजाति	नपत	ब्यास	श्रेणी	वृक्षों की संख्या	आयतन क्यू०जी०	स्थान
1	खटीमा	शीशम सूखा खड़ा	1.52	4-5	U			बनबसा नगर पंचायत के अन्तर्गत वार्ड न०-04, 05, 06 में स्थित
2			0.85	2-3	U			
3			0.96	3-4	U			
4		जामुन सूखा खड़ा	1.10	3-4	U			
5		शीशम सूखा खड़ा	1.25	4-5	U			
6			1.38	4-5	F			
7			1.25	4-5	F			
8		जामुन सूखा खड़ा	1.95	6-7	U			
9		शीशम सूखा खड़ा	1.95	6-7	F			
10			1.35	4-5	U			
11			1.25	4-5	U			
12			1.05	3-4	F			
13			1.10	3-4	U			
14			1.48	4-5	U			
15		खैर सूखा खड़ा	0.95	3-4	F			
16			0.80	2-3	F			
17		शीशम सूखा खड़ा	1.65	5-6	F			
18			1.00	3-4	U			
19			1.85	5-6	U			
20			1.00	3-4	U			
21			1.60	5-6	F			
22			1.43	4-5	F			
23			1.32	4-5	F			
24			1.40	4-5	F			
25			2.10	6-7	F			
26			1.20	3-4	F			
27		कोकाट सूखा गिरा	1.55	4-5	U			
28		शीशम सूखा खड़ा	1.10	3-4	U			
29		खैर सूखा खड़ा	1.00	3-4	F			
30			1.25	4-5	F			
31		बहेडा सूखा खड़ा	2.45	7-8	U			
32		कोकाट सूखा खड़ा	1.30	4-5	U			
33		हल्दू सूखा खड़ा	1.80	5-6	F			
34			1.68	5-6	U			
35			2.80	8-9	F			
36		शीशम सूखा खड़ा	1.20	3-4	U			
37			1.00	3-4	U			
38			2.00	6-7	U			
39			1.16	3-4	F			
40			1.80	5-6	U			
41			1.20	3-4	U			
42			1.28	4-5	U			